


वै

3/12/15 वकील वादी एव स्वयं वादी अनुपस्थित। उन्हें दूर
ठहर कर अदालत उठते तब आवेले दिलाई गई परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया अतः पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुनार होकर नग्वर
से कम हो। बाद पत्रार दाखिल हो।


उपस्थित अधिकारी
बसु (अजमेर)

